न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट,घाटमपुर कानपुर देहात

फौजदारी वाद सं० 924/2020

UPRN180015252020

सरकार बनाम सोनू

धारा 452,354 भा०द०सं०
मु०अ०सं० 210/2019
थाना सजेती, कानपुर नगर

आरोप

मैं धर्मेन्द्र सिंह यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट, घाटमपुर, कानपुर देहात आप सोनू पुत्र दशरथ सिंह को निम्नवत आरोप से आरोपित करता हूँ।

प्रथम– यह कि दिनांक 10/06/2019 को समय 1830 बजे वहद स्थान ग्राम अमौली थाना सजेती जनपद कानपुर नगर के अन्तर्गत आपने वादिनी मुकदमा सविता के घर में उस पर हमला करने के उद्देश्य से बिना उसकी अनुमति के गृह अतिचार किया। इस प्रकार आपने धारा **452 भा०द०सं०** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान के अन्तर्गत आपने वादिनी मुकदमा सविता की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया। इस प्रकार आपने धारा **354 भा०द०सं०** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतदद्वारा आपको निदेशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोपों में आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाए।

दिनांक –12/01/2026

(धर्मेन्द्र सिंह यादव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
घाटमपुर, कानपुर देहात
यू०पी० 3562

उपरोक्त आरोप अभियुक्त को पढकर सुनाया व समझाया गया जिसे स्वीकार न करते हुए अभियुक्त ने विचारण की मांग की।

दिनांक – 12/01/2026

(धर्मेन्द्र सिंह यादव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
घाटमपुर, कानपुर देहात
यू०पी० 3562

Digitally signed by DHARMENDER SINGH YADAV
Date: 2026.01.12 16:56:10 IST
Reason: Document Owner
Location: Civil Judge J.D./J.M. Ghatampur Kanpur Dehat